समाहरणालय, शेखपुरा
(जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)

<u>आदेश</u>

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 **के धारा (6B)** के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को तम्बाकु मुक्त बनाने के लिए **शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद को बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है।** साथ ही विद्यालय के मुख्य द्वार पर तम्बाकु के दुष्प्रभाव से संबंधित पोस्टर, बैनर एवं फ्लैक्स लगाने का निदेश दिया गया है। फ्लैक्स बैनर का प्रारुप निम्नप्रकार से है :–

60cmx 60 cm (15cm+30cm+15cm)

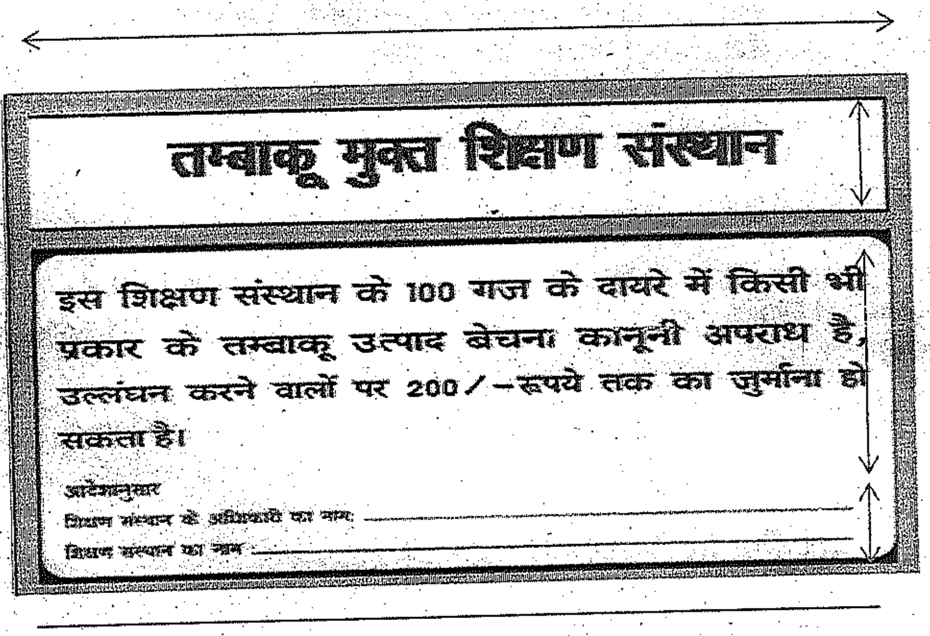

जिले के सभी सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापकों को निदेशित किया जाता है कि अपने–अपने शिक्षण संस्थान में उपरोक्त प्रारूप का दिवार लेखन एवं 100 गज के दायरें में किसी भी प्रकार का तम्बाकु उत्पाद की बिक्री पर पुर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। **आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड का प्रावधान है।** साथ में इसकी सूचना प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करें।

अतः जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आम जन के बीच तम्बाकु के दुष्परिणामों के बारें में जागरूक करने के उद्देश्य से सभी सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में तम्बाकु नियंत्रण पर प्रभात–फेरी के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना सुनिश्चित करें।

सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा	उपविकास आयुक्त शेखपुरा	जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति शेखपुरा

(92)

ज्ञापांक 1840 /गो0 शेखपुरा दिनांक 07-03-19

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शेखपुरा /जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, शेखपुरा/जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट /जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, /जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आ य की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर /पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक निदेशक सोशियो इकानॉमिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलॉपमेंट सोसाइटी (सीड्स), 32 पूष्कर अपार्टमेंट, गाँधी मूर्ति के पास, पटेल नगर, पटना–23, को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (तंबाकू नियंत्रण), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा

उपविकास आयुक्त
शेखपुरा

6/3/19
जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति
शेखपुरा

समाहरणालय, शेखपुरा
(जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)

आदेश

शेखपुरा जिले के कई स्थानों पर तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का प्रचार–प्रसार बैनर्स /पोस्टर्स /होर्डिंग्स /दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003, के धारा 5(1) एवं 5(3) के अनुसार किसी भी तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अधिनियम की धारा 21 के अनुसार ***"धारा 5 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास /रूपये 1000/–(रूपये एक हजार) का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों का प्रावधान है"***।

अतः सभी संबंधित एजेंसियों /संस्थाओं /दुकानदारों /व्यक्तियों को निदेश दिया जाता है कि किसी भी तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का बैनर्स /पोस्टर्स /होर्डिंग्स /दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में प्रचार–प्रसार करना बंद करें एवं शेखपुरा जिले में लगाये गये इस तरह के बैनर्स /पोस्टर्स /होर्डिंग्स /दिवाल लेखन इत्यादि को तत्काल प्रभाव से हटाये जायें अन्यथा विधि संवत कार्रवाई की जा सकती है। संबंधित पदाधिकारी अपने कार्य क्षेत्र को TAPS (Tobacco Advertisement Promotion and Sponsorship) मुक्त कर अधोहस्ताक्षरी को, एक माह के अंदर सूचित करें।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा	उपविकास आयुक्त शेखपुरा	जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति शेखपुरा

ज्ञापांक 1839 /शेखपुरा दिनांक 07-03-19

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शेखपुरा/ जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, शेखपुरा/जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट /जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, /जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर /पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक निदेशक सोशियो इकानॉमिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलॉपमेंट सोसाइटी (सीड्स), 32 पूष्कर अपार्टमेंट, गाँधी मूर्ति के पास, पटेल नगर, पटना–23, को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (तंबाकू नियंत्रण), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचित, स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा	उपविकास आयुक्त शेखपुरा	जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति शेखपुरा

98

ज्ञापांक 1838 /गो0 शेखपुरा दिनांक 07-3-19

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शेखपुरा / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, शेखपुरा/जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट /जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, /जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक निदेशक सोशियो इकानॉमिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलॉपमेंट सोसाइटी (सीड्स), 32 पूष्कर अपार्टमेंट, गाँधी मूर्ति के पास, पटेल नगर, पटना–23, को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (तंबाकू नियंत्रण), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा

उपविकास आयुक्त
शेखपुरा

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति
शेखपुरा

समाहरणालय, शेखपुरा

(जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)

<u>आदेश</u>

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA.2003 **के धारा (4)** के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करना निषेध है, लेकिन अभी भी आम जनता जानकारी और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करते है।

जले के सभी सार्वजनिक स्थलों यथा–बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, शापिंग मॉल, कॉफी हाउस, न्यायालय परिसर, सभाकक्ष, प्रतिक्षालय, टी स्टॉल, मिष्ठान भंडार, ढाबा, सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, सभी सरकारी/गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान, सभी सरकारी/गैर सरकारी स्वास्थ केन्द्र/अस्पताल, सिनेमा हॉल, होटल/ रेस्टोरेन्ट, पंचायत भवन, चौक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई व्यक्ति धुम्रपान करते पाया जाता है तो भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, COTPA 2003 की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, **उल्लंघनकर्त्ता को रूपये 200/–तक जुर्माना किया जा सकता हैं।** बोर्ड का प्रारूप निम्नांकित है :–

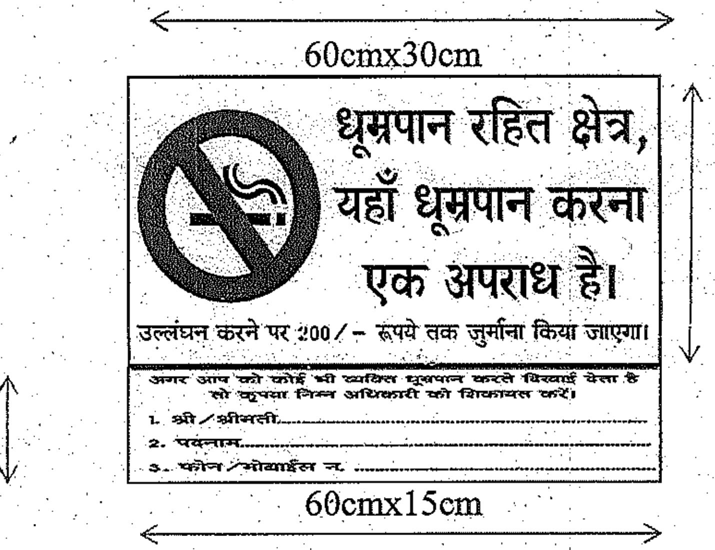

अतः चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड की व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए सभी अधिकृत पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अपने–अपने कार्य क्षेत्र में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के तहत उल्लंघन करने वाले को 200 रू0 तक दंडित करना एवं सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान निषेध का बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे। **साथ में प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में उक्त कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे।** यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो इसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।

सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा	उपविकास आयुक्त शेखपुरा	जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति शेखपुरा

- भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (COTPA 2003) की धारा–4, 5, 6 एवं 7 के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई करना तथा जिला स्तरीय समिति को सूचित करना।
- जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति (DTCCC) के सदस्यों की त्रैमासिक बैठक सुनिश्चित करना।

तम्बाकू और संबंद्ध उत्पादों के प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष /Surrogate विज्ञापन के बारे में शिकायत दर्ज कराने हेतु आम जनता को अवसर प्रदान करना तथा प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना।

सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा	7/3/19 उपविकास आयुक्त शेखपुरा	6/3/19 जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति शेखपुरा

ज्ञापांक 1831 /गो0 शेखपुरा दिनांक 07-03-19

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शेखपुरा / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, शेखपुरा/जिला पंचायती राज पदाधिकारी / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/सिनेमा मजिस्ट्रेट /जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, /जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, शेखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर को सादर सूचनार्थ समर्मित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक निदेशक सोशियो इकानॉमिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलॉपमेंट सोसाइटी (सीड्स), 32 पूष्कर अपार्टमेंट, गाँधी मूर्ति के पास, पटेल नगर, पटना–23, को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (तंबाकू नियंत्रण), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक निदेशक–सह–सचिव, स्वास्थ्य, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

7.3.'19 सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा	7/3/19 उपविकास आयुक्त शेखपुरा	6/3/19 जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति शेखपुरा

समाहरणालय, शेखपुरा
(जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)

अधिसूचना

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम Cigarettes and other Tobacco Product (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (COTPA) को जिले में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 336 (12) पटना दिनांक 02–04–2012 के आलोक में जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति का गठन किया जाता है, अधिसूचना में दिये गये निर्देश के अनुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति (District Tobacco Control Coordination Committee) (DTCCC) का गठन किया जाता है।

गठित की गयी समिति में विभिन्न विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थानों के निम्नांकित सदस्य होंगे :–

1.	जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति	–	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक, शेखपुरा	–	सदस्य
3.	उप विकास आयुक्त, शेखपुरा	–	सदस्य
4.	सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति	–	सदस्य सचिव
5.	अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा	–	सदस्य
6.	पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, शेखपुरा	–	सदस्य
7.	कार्यपालक पदाधिकारी, शेखपुरा नगर परिषद	–	सदस्य
8.	अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, शेखपुरा	–	सदस्य
9.	गैर संचारी रोग पदा0–सह–नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण, शेखपुरा	–	सदस्य–सह–समन्वयक
10.	जिला शिक्षा पदाधिकारी, शेखपुरा	–	सदस्य
11.	जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, शेखपुरा	–	सदस्य
12.	जिला परिवहन पदाधिकारी, शेखपुरा	–	सदस्य
13.	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, शेखपुरा	–	सदस्य
14.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा	–	सदस्य
15.	जिला खाद्य संरक्षा पदाधिकारी, शेखपुरा	–	सदस्य
16.	प्राचार्य, आर0डी0 कॉलेज, शेखपुरा	–	सदस्य
17.	प्राचार्य, ईस्लामिया हाई स्कूल, शेखपुरा	–	सदस्य
18.	जिला प्रबंधक, केयर इंडिया, शेखपुरा	–	सदस्य
19.	प्रतिनिधि सोशियो इक्नॉमिक एण्ड एडुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी (SEEDS) पटना	–	सदस्य

उक्त समिति तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न कार्यो का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करेगी जो निम्नलिखित है :–

- COTPA 2003 को पूरे जिला में प्रभावी रूप से लागू कराने, चालान (दण्ड) व्यवस्था शुरू करने एवं मुल्यांकन तथा अनुश्रवण में सहयोग करना।
- तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित कार्यों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हो ताकि केन्द्र सरकार के निदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो पाये।
- सभी प्रखंडों की अनुश्रवण / रहनुमाई समितियों का गठन तथा उसकी बैठक नियमित रूप से त्रैमासिक अंतराल पर आयोजित किया जाना है।
- यह सुनिश्चित करना कि अधिकृत अधिकारी अपने कर्त्तव्यों का प्रभावी ढंग से अनुपालन कर रहे हैं तथा उनके द्वारा तम्बाकू नियत्रंण से संबंधित कितने मामलों में फैसला किया गया है।
- तम्बाकू संबंधित मामले पर निर्णय लेना तथा प्रखंड स्तरीय समितियों को सुझाव एवं मार्गदर्शन देना।

समाहरणालय, शेखपुरा
(जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। शेखपुरा जिला में तम्बाकु नियंत्रण कार्यक्रम सफल संचालन हेतु **अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा** को जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का विशेष नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण) नामित किया जाता है। ये जिले के सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का जिला में सफल संचालन कराना सुनिश्चित करेगें। साथ हीं शेखपुरा जिला को धुम्रपान मुक्त जिला घोषित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगें।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।

सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा	उपविकास आयुक्त शेखपुरा	जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति शेखपुरा

ज्ञापांक ...1830.... / गो0 शेखपुरा

दिनांक 07-03-19

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शेखपुरा / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, शेखपुरा / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर / पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक निदेशक सोशियो इकानॉमिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलॉपमेंट सोसाइटी (सीड्स), 32 पूष्कर अपार्टमेंट, गाँधी मूर्ति के पास, पटेल नगर, पटना–23, को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (तंबाकू नियंत्रण), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा	उपविकास आयुक्त शेखपुरा	जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति शेखपुरा

DIO NIC [illegible]

समाहरणालय, शेखपुरा
(जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)

आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA 2003 के धारा (6A) के अनुसार सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दूकानों पर यह बोर्ड लगाना अनिवार्य है इस अधिनियम के अर्न्तगत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को तम्बाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है फ्लैक्स बैनर का प्रारूप निम्नप्रकार से है :–

अठारह वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है

जिला के सभी तम्बाकू उत्पाद यथा– बिड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा एवं अन्य निकोटिनयुक्त पान मशाला तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों एवं थोक विक्रताओं को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने दुकान पर यह बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेगें। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू0 तक दंड का प्रावधान है।

ह0/– 7.3.19	ह0/– 7/3/19	ह0/– 7/3/19
सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा	उपविकास आयुक्त शेखपुरा	जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति शेखपुरा

ज्ञापांक ...1841....../गो0 शेखपुरा दिनांक 07-3-19

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शेखपुरा / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, शेखपुरा /जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट /जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, /जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगें।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– कार्यपालक निदेशक सोशियो इकानॉमिक एण्ड् ऐजुकेशन डेवलॉपमेंट सोसाइटी (सीड्स), 32 पूशकर अपार्टमेंट, गाँधी मूर्ति के पास, पटेल नगर, पटना–23, को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (तंबाकू नियंत्रण), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा

उपविकास आयुक्त
शेखपुरा

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति
शेखपुरा